(18)	विवरण सं016	एक सौ सड़सठवां सत्र, 1993
(19)	विवरण सं0 16	एक सौ अड़सठवां सत्र, 1993
(20)	विवरण सं0 13	एक सौ उनहतरवां सत्र,1993
(21)	विवरण सं0 13	एक सौ सतहरवां सत्र, 1994
(22)	विवरण सं0 10	एक सौ इकतरवां सत्र,1994
(23)	विवरण सं0 8	एक सौ बहतरवां सत्र,1994
(24)	विवरण सं0 7	एक सौ तिहतरवां सत्र,1995
(25)	विवरण सं0 3	एक सौ चौहतरवां सत्र, 1995
(26)	विवरण सं0 1	एक सौ पचहतरवां सत्र, 1995

(Pleased in Library. *See* No. LT 9257/96 to 9282/963)

Report and Accounts (1994-95) of the All India Federation of Cooperative Spinning Mills Limited, Bombay and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MOHD. AYUB KHAN): Madam I lay on the Table a copy each (in English and Hindi) of the following papers:— (i) Thirty-first Annual Report and Accounts of the All India Federation of Cooperative Spinning Mills Limited, Bombay for the year 1994-95, together with the Auditors' Report on the Accounts.

(ii) Review by Government on the working of the above Federation.

(iii) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (i) above. (Pleased in Library. *See* No. LT 9323/96)

(I) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना

(II) नेशनल इंस्टीटयूट आफ रूरल डेवलपमेंट हैदराबाद का प्रतिवेदन और लेखे (1994-95) तथा समबद्ध पत्र

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच0 पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं । कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिहनांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन क्रीमरी मक्खन श्रेणीकरण और चिहनांकन (संशोधन) नियम, 1995 को प्रकाशित करने वाली ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की अधिसूचना सा0का0नि0सं0 447 दिनांक, 7 अक्टूबर, 1995 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) ।

[Pleased in Library. *See* No. LT 9312/96]

II. निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) :-

(i) 1994-95 के वर्ष के लिए नेशनल इस्टीटयूट आफ रूरल डेवलपमेंट हैदराबाद का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(ii) 1994-95 के वर्ष के लिए नेशनल इंस्टीटयूट आफ रूरल डेवलमेंट हैदराबाद के वार्षिक लेखे और उन पर लेखा-प्रतिवेदन ।

(iii) उपर्युक्त इंस्टीट्यूट के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(iv) ऊपर (i) तथा (ii) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण ।

[Pleased in Library. *See* No. LT 9313/96]

I. Notification of the Ministry of Health and Family Welfare.

II. Report and Accounts (1994-95) of the All India Instt. of Speech and Hearing Mysore and related papers.

III. Report and Accounts (1994-95) of the Pasteur Instt of India Coonoor and related papers.

IV. Report and Accounts (1993-94) of the National Instt. of Homoeopathy Calcutta and related Papers.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DEPTT. OF INDIAN SYSTEM OF MEDICINE AND HOMOEOPATHY (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR) Madam I lay on the Table—

I. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Health and Family Welfare, Notification G.S.R. No. 1(E), dated the 1st January, 1996, publishing the Prenatal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Rules, 1996, under Section 34 of the Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994.

[Pleased in Library. *See* No. LT 9395/96]

A copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

II (a) Annual Report of the All India Institute of Speech and Hearing, Mysore, for the year 1994-95.